न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 12/2012 (96/1986)

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--वादी--

बनाम

1. भादू राम, जीवनराम, भगवाना, नन्दराम, पिसरान देवाराम व किशनी, बीझाराम, नारायण, निर्मला, चैना पिसरान किशना जाति बावरी साकिन टीबा मोटासर खूनी (4 एफएफ ए)
   1/1. कृष्णा पत्नि ओमप्रकाश जाति बावरी निवासी 4 एल.एम. तहसील घडसाना।
   1/2. चैना देवी पत्नि सहीराम पुत्री किशना राम जाति बावरी निवासी 4 एल.एम. तहसील घडसाना।
   1/3. चन्द्रभान पुत्र ओमप्रकाश जाति बावरी निवासी 4 एल.एम. तहसील घडसाना।
2. राजू पुत्र गोन्दा जाति चमार निवासी रगडका तहसील फलौर जिला जलन्धर।
3. गुरदयाल सिंह, ज्ञान सिंह पिसरान किशन सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एफएफए।

--प्रतिवादीगण--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 175 आरटीए

--निर्णय-- **दिनांक : 27.02.2020**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्री करणपुर के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक टीबा मोटासर खूनी का मु.न. 134 का 25 बीघा बारानी रकबा है। उक्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 10.02.1975 को बैय कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 बेनामी है। अर्थात यह कभी भी इस चक में ना तो रहा और न इसने इस भूमि को कभी काश्त किया है। प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बेनामी बैयनामा करवाकर इस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 ने कब्जा कर रखा है। जो कि स्वर्ण जाति के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 अनुसूचित जाति के सदस्य है व प्रतिवादी संख्या 3 स्वर्ण जाति के सदस्य होने व बैयनामा बेनामी होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42/46ए के तहत बैचान अवैध है। तथा कब्जा भी अवैध है। उपरोक्त बैयनामा बेनामी होने के कारण व भूमि पर कब्जा स्वर्ण जाति के सदस्यों का होने के कारण आराजी चक टीबा मोटासरखूनी मु.न. 134 का 25 बीघा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिए जाए तो न्याय संगत होगा। दावा सरकार की ओर से होने पर नियमानुसार कोर्ट फीस देय नही है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुदर्शन लाल गुप्ता उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा स्वय उपस्थित आकर जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा के अनुसार यह तथ्य स्वीकार है कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदार होना स्वीकार नहीं है। क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान कर दी है यह तथ्य अस्वीकार है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पास रकबा बेनामी हो। बल्कि उसका स्वंय का खरीद किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 गांव में निवास करता रहा और अपनी भूमि को स्वय काश्त करता रहा और कभी ठेका पर देता रहा। यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने बेनामी बैयनामा करवाया हो। प्रतिवादी संख्या 3 का प्रश्नगत भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। प्रश्नगत भूमि में धारा 42 आरटीए की उल्लघना होना स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 अनुसूचित जाति का है और उसके हक में बैयनामा हुआ है। अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि वादपत्र बैयनामा के आधार पर आधारित है। दावा में बेनामी तथ्य का अभाव है। दावा में जिस बैयनामा को बेनामी बताया गया है।

उसे निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। जवाब पेश कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना स्वीकार है परन्तु उनका खातेदार होना स्वीकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान कर दी है। यह तथ्य अस्वीकार है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पास रकबा बेनामी हो। बल्कि उसका स्वंय का खरीद किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 गांव में निवास करता रहा और अपनी भूमि को स्वय काश्त करता रहा और कभी ठेका पर देता रहा। यह कथन भी गलत है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने बेनामी बैयनामा करवाया हो। प्रतिवादी संख्या 3 का प्रश्नगत भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। प्रश्नगत भूमि में धारा 42 आरटीए की उल्लघना होना स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 अनुसूचित जाति का है और उसके हक में बैयनामा हुआ है। अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि वादपत्र बैयनामा के आधार पर आधारित है। दावा में बेनामी तथ्य का अभाव है। दावा में जिस बैयनामा को बेनामी बताया गया है। उसे निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। जवाब पेश कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र खारिज किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बनवारी लाल पारीक ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादगत भूमि हमारे नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। हमारे द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 राजू राम को इस भूमि का बेचान करना स्वीकार नहीं है। यह तथ्य स्वीकार है कि प्रतिवादी संख्या 3 इस भूमि पर अवैध रूप से काबिज है और उसकी जाति स्वर्ण है। हमने कभी भूमि का बेचान नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 1 की बिना सहमति से कब्जा प्रथम दृष्टि से बतौर अतिक्रमी है, और हम प्रतिवादी कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अन्य तथ्य एवं काउन्टर क्लेम में निवेदन किया कि वादगत भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है और कब्जा स्वर्ण जाति का है। जो प्रथम दृष्ट बतौर अतिक्रमी है। इसलिए काउन्टर क्लेम मे हम प्रतिवादी कब्जा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। प्रथम तो हमने कोई बैयनामा नहीं किया और यदि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से किया भी जाता है तो इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं होने के कारण इस भूमि से हम प्रतिवादीगण के अधिकार यथावत रहते और प्रतिवादी संख्या 3 को कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं होता। धारा 175 आरटीए में अनुसूचित जाति का व्यक्ति तभी दोषी माना जाता है यदि उसने अपनी भूमि का कब्जा स्वर्ण जाति को हस्तान्तरित किया हो। इस प्रकरण में हमारे द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति को कभी भी कब्जा हस्तान्तरित नही किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 का बतौर अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा दिलावाया जावें एंव प्रतिवादी संख्या 3 से हर्जाना दिलवाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजपाल अरोडा उपस्थित आए। निम्न वाद बिन्दू कायम किए गए।

1. **आया कि क्या वादगत आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 10.02.1975 को बैयनामा कर दिया है ?** **-:वादीः-**
2. **आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा बेनामी बैयनामा करवाकर वादगत आराजी पर प्रतिवादी संख्या 3 जो कि स्वर्ण जाति का है काबिज है?**

   -:वादीः-
3. **आया कि क्या बैयनामा दिनांक 10.02.1975 बेनामी होने के कारण व अनुसूचित जाति की जमीन पर प्रतिवादी संख्या 3 स्वर्ण जाति का कब्जा होने के कारण बहक सरकार लिया जाना चाहिए ?**

   -:वादीः-
4. **आया कि क्या वादी द्वारा जो बेनामी बैयनामा जताया गया है। उसे मन्सूख करवाने का अधिकार दिवानी न्यायालय को है और दावा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है ?-:प्रतिवादी सं. 2व3 :-**

5. आया कि क्या वादगत आराजी प्रतिवाद संख्या 2 की खरीदशुदा है और प्रतिवादी संख्या 2 भूमि को काश्त करता है ? -:प्रतिवादी 2 :-

6. आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 3 वादगत आराजी पर कब्जा बतौर अतिक्रमी है और प्रतिवादी संख्या 1 वादगत आराजी का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ? -:प्रतिवादी 1 :-

7. अनुतोष।

साक्ष्यवादी में गवाह घनश्याम दास पटवारी के ब्यान लिखे गए। साक्ष्य में गवाह ने जाहिर किया कि चक टीबा मोटासर खूनी की जमाबन्दी सम्वत 2041 ता 2044 के खाता संख्या 48 आज में साथ लेकर आया हूं। जिसमें मु.न. 134 के 25 बीघा बारानी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। रिपोर्ट दिनांक 28.07.1986 गिरदावर जोरावर द्वारा लिखी गई है। उस वक्त मे साथ था जो प्रदर्श 1 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है और सी से डी गिरदावर प्रेम सिंह मीणा के हस्ताक्षर है। जमाबन्दी में यह भूमि अनुसूचित व्यक्तियों के नाम दर्ज है परन्तु मौके पर रकबा गुरदयाल सिंह, ज्ञान सिह पिसरान किशन सिंह जाति जटसिख के कब्जा काश्त में था। गुरदयाल सिंह आदि ने बेनामी बैयनामा अनुसूचित जाति के नाम करवाकर स्वयं काबिज थे। उक्त भूमि पर पार्टी का कब्जा नहीं होने के कारण इन्तकाल दर्ज नहीं किया गया। जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि प्रदर्श 1 प्रेम सिंह मीणा के द्वारा तैयार की गई है। प्रदर्श 1 तहसीलदार के आदेश से मौका पर गए थे। प्रदर्श 1 जब मौका देखने गए तब अडोसी पडौसी को बुलाकर पूछताछ नहीं की। इस गांव में राजू पुत्र गोविन्द नाम का व्यक्ति नही रहता पंजाब में रहता है। गांव वालों ने यह नहीं बताया कि यह रकबा गोविन्द चमार ने कभी खरीद नहीं किया। यह बात गलत है कि प्रदर्श 1 तैयार किए तब में साथ था। मेरे सामने केवल प्रदर्श 1 तैयार की थी। और कोई कागजात तैयार नहीं किए।

प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 2 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि उनके द्वारा गवाह से जिरह नहीं की गई है जिसका मौका दिया जावे। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को गवाह से जिरह का मौका दिया गया। जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि पटवारी दैनिक डायरी रखता है। दिनांक 29.07.1986 को मेरे पास दैनिक डायरी थी। मुझे ध्यान नहीं की मैने प्रदर्श 1 का इन्द्राज दैनिक डायरी में किया हो। गुरदयाल सिंह आदि विवादित भूमि हिस्सा ठेका पर काश्त करते है यह बात अडौसी पडौसी ने बताई थी। उस समय किसी अडौसी पडौसी के ब्यान नहीं लिए।

साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 2 राजू पुत्र गोन्दा के ब्यान लिखे गए ब्यान में गवाह ने जाहिर किया कि वर्ष 1975 में चक टीबा मोटासर खूनी के मु.न. 106 के 25 बीघा बारानी भूमि 15000 रूपए में मैंने खरीद की थी। मेरे पास विवादित भूमि का कब्जा रिसीवर होने से पूर्व था। मैंने कभी गुरदयाल सिंह जटसिख को कभी भूमि ठेका पर नही दी। मैंने यह भूमि देवा , उसकी पत्नि तथा लडको आदि से खरीद की थी। जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि मेरी जाति चमार है मैंने भूमि भादू, जीवन, भगवाना व किशनी से खरीद की थी। वादगत भूमि प्रतिवादी सख्या 3 ने मुझे बेनामी खरीद कर नहीं दी। जब पटवारी ने रिपोर्ट की उस वक्त मेरी काश्त थी। इस भूमि के पूर्व मे मोहना मजहबी तथा पश्चिम में राजू धर्मा बावरी की जमीन पडती है। तथा किला न. 21 ता 25 की तरफ नहर है। तथा दूसरी तरफ मामराज बावरी की जमीन पडती है। विवादित भूमि का जब बतौर रिसीवर कब्जा लिया तब मेरा कब्जा था। मैं अब चक 4 एफ एफ ए में रहता हूं।

प्रतिवादी संख्या 3 के ब्यान लिखे गए। ब्यान में गवाह ने जाहिर किया कि 25 वर्ष पहले भादू, जीवन, किशनी आदि से मोटासर खूनी के मु.न. 106 के 25 बीघा बारानी भूमि 15000 रूपए में राजू पुत्र गोन्दा जाति चमार ने खरीद की थी। जिसका बैयनामा हुआ था। बैयनामा के समय में हाजिर था। असल बैयनामा प्रदर्श डी-1 है। जिस पर ए से बी बतौर गवाह मेरे हस्ताक्षर है। सी से डी जीवन राम के हस्ताक्षर है । मार्क एक्स भादू राम, मार्क जैड नन्दराम व मार्क क्यू किशनी का अगूठा है। जिन्होने मेरे सामने अगूठे लगाए थे। राजू राम ने स्वयं ने खरीद की। मेरा जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है। जमीन से रिसीवर होने से पूर्व राजू काश्त करता था। राजू गांव 4 एफ एफ ए रहता है। जिरह में

गवाह ने जाहिर किया कि यह जमीन मैंने खरीद नहीं की। राजू ने खरीद की है। गांव 4 एफ एफ ए में रहता है। राजू के घर के उतर में गोकुल का घर, दक्षिण में किशना का घर, पूर्व में फूसा का घर व पश्चिम में गंगाराम नायक का घर है। राजू राम के नाम से चक 4 एफ एफ ए में राश्न कार्ड बना हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1 जीवन राम व भगवाना राम के ब्यान लिखे गए। गवाहो ने साक्ष्य मे जाहिर किया कि चक 4 एफ एफ ए में मेरे पिता देवाराम के नाम 25 बीघा बारानी भूमि है। हम जाति से बावरी है। मेरे पिता को गुजरे 10 साल हो गए वर्ष 1975 में यह भूमि हमने प्रतिवादी संख्या 2 राजू को बेचान नहीं की। राजू नाम का आदमी चक 4 एफएफए में नहीं रहता । इस भूमि पर गुरदयाल सिंह व ज्ञान सिंह ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जिन्हें बेदखल कर कब्जा हमें दिलवाया जावे। जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि मैं नन्दराम व जीवन चक 3 एम एल घडसाना में रहते है। तथा भगवाना राम व भादू राम चक 4 एमएलडी में रहते है। भादू राम का स्वर्गवास हो चुका है। किशनी मेरे भतीजा किशना राम की घरवाली थी। जिसकी मृत्यू हो चूकी है। जमीन हमने नहीं बेची जब हम गांव में आते तो गुरदयाल सिंह आदि हमें डरा धमका देते इसलिए डरते हम गांव में नहीं आए गुरदयाल सिंह आदि के विरूद्व हमने कोई मुकदमा नहीं करवाया और न ही कोई कब्जा लेने का केस किया । यह कहना गलत है कि कब्जा का केस इसलिए नहीं किया कि बैयनामा करवा रखा है। यह कहना गलत है कि हमने तहसीलदार के समक्ष पेश होकर कोई हस्ताक्षर अगूठे किए हो। हम डर के मारे गांव 4 एफ एफ बी में नहीं गए। हमारे मकानों व समान पर 30 वर्ष पहले मजहबी सिखों ने कब्जा कर लिया जिसका मुकदमा हमने नहीं किया। यह बात मुझे नहीं पता कि जमीन काश्त कौन करता है। प्रश्नगत पर काश्त गुरदयाल सिंह, ज्ञान सिंह करते है। यह बात मुझे गांव वालों ने बताई है। यह कहना गलत है कि प्रश्नगत भूमि की रजिस्ट्री हमने राजू के नाम करवाई हो । मुझे नहीं पता कि राजू राम गांव में रहता है या नहीं मुझे नहीं पता कि राजू राम जमीन को काश्त करता हो। लेकिन गुरदयाल सिंह, ज्ञान सिंह जटसिख काश्त करते है। मुझे नहीं पता कि भूमि रसीवर है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादिया किशनी बाई का देहान्त हो चुका है। जिनके जायज वारिसों को पक्षकार बनाया जावे। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर कृष्णा, चैना देवी व चन्द्रभान को पक्षकार बनाया गया। जिनकी तरफ से सतीश अरोडा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम 138 पेश कर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से जिरह हेतु अनुमति चाही। जो बाद सुनवाई 200 रूपए की कोस्ट पर स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा माननीय न्यायालय अजमेर में निगरानी पेश की। माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.01.2012 से निगरानी अस्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया कि वह आगामी पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रति परीक्षा नही करने पर प्रति परीक्षा स्वत की समाप्त मानी जाऐगी।

पत्रावली वापिस प्राप्त होने पर नए नम्बर पर दर्ज की गई। प्रतिवादी संख्या 1 जीवन राम व भगवाना राम की ओर से श्री अशोक जोशी अधिवक्ता उपस्थित आए। राजू पुत्र गोन्दा को न्यायालय की तरफ से नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 3 गुरदयाल सिंह व प्रतिवादी संख्या 3/1 सतनाम सिंह की मृत्यू होने पर उनके वारिसो को नोटिस जारी किए गए। एंव पत्रावली बहस हेतु निर्धारित की गई।

बहस सुनी गई। पैरोकार राज के द्वारा अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि को रकबा राज घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 को बतौर अतिक्रमी घोषित किया जाकर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को दिलवाया जावे।

बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया । वाद बिन्दू अनुसार निर्णय निम्न प्रकार है:-

सरकार बनाम भादू राम आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 175 आरटीए प्रकरण संख्या 12/2012 (96/1986)

1. **आया कि क्या वादगत आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 10.02.1975 को बैयनामा कर दिया है ?**

-:वादीः-

इस वाद बिन्दू को सिद्व करने का भार वादी पर है। पत्रावली में सलग्नं रिपोर्ट गिरदावर के अनुसार वादगत भूमि पर कब्जा गुरदयाल सिंह, ज्ञान सिंह का है। वादपत्र के साथ सलग्न बैयनामा की छायाप्रति (प्रदर्श डी 1-ए) के अनुसार भादू राम, जीवन राम, भगवाना राम, नन्दराम, किशनी बेवा किशना राम के द्वारा वादगत भूमि का बैयनामा राजू पुत्र गोन्दा जाति चमार निवासी रूडका तहसील फिलौर जिला जलन्धर को किया गया है। बैयनामा में अंकित अनुसार कब्जा खरीददार को करवा दिया है। बैयनामा सब रजिस्ट्रार श्री करणपुर से पंजीकृत है। जिससे यह साबित है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को बैयनामा करवाया है। इस वाद बिन्दू का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

2. **आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा बेनामी बैयनामा करवाकर वादगत आराजी पर प्रतिवादी संख्या 3 जो कि स्वर्ण जाति का है काबिज है?**

-:वादीः-

इस वाद बिन्दू को सिद्व करने का भार वादी पर है। वादी के द्वारा अपनी साक्ष्य में गिरदावर हलका की रिपोर्ट दिनांक 29.07.1986 को प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाया है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार वादगत भूमि पर कब्जा स्वर्ण जाति के व्यक्तियों का है। रिपोर्ट में अंकित अनुसार मौका पर इस भूमि को गुरदयाल सिंह आदि के द्वारा हिस्सा ठेका पर लेकर काश्त करना बताया। परन्तु हिस्सा ठेका पर लेने बाबत कोई सबूत पेश नहीं किया। साक्ष्यवादी में भी गवाह ने इन तथ्यों को दोहराया। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा अपनी साक्ष्य में जाहिर किया कि यह भूमि उसके स्वंय द्वारा खरीद की गई। उसी का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 2 की साक्ष्य न्यायालय में हुई है। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा ही माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई है। प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किए गए बैयनामा को बेनामी नहीं माना जा सकता। परन्तु वादगत भूमि पर कब्जा स्वर्ण जाति का है। अतः इस वाद बिन्दू का निर्णय आशिंक रूप से वादी के पक्ष में किया जाता है।

3. **आया कि क्या बैयनामा दिनांक 10.02.1975 बेनामी होने के कारण व अनुसूचित जाति की जमीन पर प्रतिवादी संख्या 3 स्वर्ण जाति का कब्जा होने के कारण बहक सरकार लिया जाना चाहिए ?** **-:वादीः-**

इस वाद बिन्दू को सिद्व करने का भार वादी पर है। इस वाद बिन्दू के सम्बन्ध में वाद बिन्दू संख्या 1 व 2 में लिखा जा चूका है।

4. **आया कि क्या वादी द्वारा जो बेनामी बैयनामा जताया गया है। उसे मन्सूख करवाने का अधिकार दिवानी न्यायालय को है और दावा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है ?-:प्रतिवादी सं. 2व3 :-**

इस वाद बिन्दू को सिद्व करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पर है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के द्वारा अपनी साक्ष्य में बैयनामा को प्रदर्श करवाया गया है। कानूनन किसी पंजीकृत दस्तावेज को मन्सूख करने का अधिकार दिवानी न्यायालय को है। परन्तु रिपोर्ट गिरदावर के अनुसार वादगत भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम है। परन्तु मौका पर कब्जा काश्त स्वर्ण जाति के व्यक्ति का है । जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42/46 की उल्लघना है। जिसे सुनने का अधिकार इस न्यायालय को है। इस वाद बिन्दू का निर्णय प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्व किया जाता है।

5. **आया कि क्या वादगत आराजी प्रतिवादी संख्या 2 की खरीदशुदा है और प्रतिवादी संख्या 2 भूमि को काश्त करता है ?** **-:प्रतिवादी 2 :-**

इस वाद बिन्दू को सिद्व करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 पर है। वादपत्र के साथ सलग्न प्रदर्श डी-1 ए व पत्रावली में सलग्न प्रदर्श डी 1 के अनुसार वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 2 की खरीदशुदा है। वादपत्र के साथ सलग्न प्रदर्श 1 के अनुसार मौका पर कब्जा स्वर्ण जाति का है प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा अपनी साक्ष्य में अपने कब्जा काश्त बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 2 इस वाद बिन्दू को आशिंक रूप से सिद्व करने में सफल रहा है।

6. आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 3 वादगत आराजी पर कब्जा बतौर अतिक्रमी है और प्रतिवादी संख्या 1 वादगत आराजी का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ?-:प्रतिवादी 1 :-

इस वाद बिन्दू को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1 पर है। प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 3 को बतौर अतिक्रमी बताया गया है। परन्तु ऐसे कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया है। जिससे साबित हो कि प्रतिवादी संख्या 3 वादगत भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। प्रदर्श डी 1 के अनुसार वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में पंजीकृत बैयनामा के द्वारा बेचान की गई है। और उसका प्रतिफल भी प्राप्त किया गया है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 भादूराम आदि वादगत भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। रिपोर्ट गिरदावर प्रदर्श 1 के अनुसार वादगत भूमि पर मौका पर कब्जा काश्त स्वर्ण जाति के व्यक्ति का है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 व 46 ए की उल्लघना होने के कारण वादगत भूमि राज्य सरकार के हक में किए जाने के योग्य है। इस वाद बिन्दू का निर्णय प्रतिवादीगण संख्या 1 के विरूद्व किया जाता है।

7. अनुतोष।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक टीबा मोटासरखूनी की जमाबन्दी सम्तव 2049 ता 52 के खाता संख्या 48 के खसरा नम्बर 134 की 25 बीघा बारानी भूमि को रकबा राज घोषित किया जाकर रकबा राज दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। चूकिं यह रकबा रिसीवर है। अतः तहसीलदार श्री करणपुर को आदेशित किया जाता है कि इस भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट पेश करे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.27 15:40:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: